

RE. No. 2 Salidated 87/07/12 M.P OTHER

5000Rs



118111

008137

/ विक्रयार्थ बाबत कृषि भूमि स्थित ग्राम बतोदा तहसील महु जिला इन्दौर /

ग्राम पुर्णमाल क्षेत्र-बतोदा

ब्लाक-महु

रे.स.नं.-२

पट्टावासी हल्का नं.-२५

कण पु.क्र.-एन-१०८२३३

कीमत व बाजार मूल्य रुपये २४,५२,५००/- (अक्षरी रुपये बीबीस लाख बावन हजार पांच सौ रुपये मात्र)

2452500

मुद्रांक शुल्क रुपये

१९६२०००००

पं.वा. मुद्रांक शुल्क रुपये

२४५४५०००

अधिवक्ता शुल्क

५६१५०००

सहायक मुद्रांक रुपये

१४०००

कुल योग

२४०५५००००

२४०५५००००

Re - 801/2014/E/0004

MR - 28441/16

श्री दयाराय पिता श्री पूताजी कुमावत,
सभी निवासी ग्राम बतोदा तहसील महु जिला इन्दौर म.प्र.

-----विक्रीदार (विक्रेता)-----

विनित कन्सल्टेशन प्रा.लि.सर्फे अधिकृत हस्ताक्षरी
श्री सुभाष पाटीदार पिता श्री रामलालजी पाटीदार
निवासी मेन रोड ग्राम गबली पलामिया तहसील महु जिला इन्दौर म.प्र.

-----अक्षमतिकर्ता-----

Shiv Chauriy

अक्षमति, ३



161
9/11/17

5555

31 MAR 2007

[Signature]

5555 = 100 + 5555

प्रमाणित
कॉपी
नियमित रूप से

161
9/11/17

161 10/2/17

161

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161 10/2/17

161



27/1 रसीद-कमलेश्वर नगर 80

दिनांक मुकाम

एक सौ : 00 RUPEES

क्रिस की नं	वस्तुओं की मजदूरीयारी व कीमत या वस्तुओं की तारीख या क्रिस की मुद्राबन्ध लिखाफा लिखा गया हो जिसके बाबत जीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इमारत	मादास जीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे वस्तुओं
1	2	3	4
	क्यादाम 20/2/20	19890	

तारीख 17/4/20

हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH : 2:

E 029095

---श्री---

शिव महिमा हाउसिंग प्रा. लि., 301-302, सुतीय मंजिल
बिन्दसर प्लाजा संसारचन्द्र रोड जयपुर सर्वे अधिभूत हस्ताक्षरी
श्री राजेश चौबे पिता श्री जे. एन. चौबे, पता 301-302, सुतीय मंजिल
बिन्दसर प्लाजा संसारचन्द्र रोड जयपुर
(PAN No.-AAIC87173D)

-----अरीददार (केता)

उपरोक्त विक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र बाधत कृषि भूमि स्थित ग्राम बतोदा तहसील महु जिला इंदौर का उपरोक्त तरीकदार सुतीय पक्ष के हित में निष्पादित इस प्रकार कर देते हैं कि :-

विक्रेता की शामलात घाते की भूमि होकर घाते में सर्वे नं. 1182, 1446/1, 2216, 2219, 2220 कुल रकबा 14-216 आरे भूमि है जिसमें से आपसी पारिवारिक बटवारे के मान से विक्रेता के हिस्से, मालकी व कब्जे आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 2216, 2219/1 पैकि रकबा 1-623 हेक्टर (4-40 एकड़) लगान 8-24 ग्राम बतोदा तहसील महु जिला इंदौर का यह विक्रय है। विक्रीदार पक्ष के अलावा इस भूमि सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत आदि नहीं है। इस भूमि सम्पत्ति के मालकी आदि किसी संबंध में कोई दावा झगडा प्रकरण किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अथवा किसी भी ज्यूडिशियल न्यायालय में लंबित या विचाराधीन नहीं है, अथवा सबजुडिस नहीं है।

सदर विक्रयांतर्गत भूमि सम्पत्ति रेवेन्यू रिकार्ड्स में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। सदर भूमि पर विक्रेतापक्ष स्वयं के साधनों से कृषि कार्य करते आये हैं व सतत् अबाधित रूप से सदर विक्रयांतर्गत भूमि पर कब्जे आधिपत्य में रहें हैं। कब्जे आदि किसी भी संबंध में कोई अधिकार दोष या अधिकारों में न्यूनता, दखल नहीं है। सदर भूमि में कोई देव स्थान या पीर स्थान भी नहीं है। इस विक्रय विलेख के विपरीत कोई सीदा करार या विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुआ भी नहीं है।

किलहाल यह विक्रयांतर्गत भूमि हर प्रकार के गिरबी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेंस, बिक्री, आसेध, धर्मादा, देव स्थान के चार्ज, बैंकों, विस्तीय संस्थाओं, सोसायटियों के ऋण, भार, चार्ज आदि से शुद्ध व मुक्त, पवित्र स्थिति में है यदि भविष्य में किसी बैंक, विस्तीय संस्था आदि का कोई भार, ऋण चार्ज आदि पाया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी बिक्रीदार पक्ष की रहेगी। इस प्रकार बिक्रीदार पक्ष को यह विक्रयांतर्गत भूमि उपरोक्त तरीकदार पक्ष को विक्रय हस्तांतरण करने का पूर्ण व स्वतंत्र अधिकार है।

अविरत....



142
20/4/07

100

1962-0
24525
9815
10
220000

रजिस्ट्रार
राजस्थान सरकार
जयपुर

दस्तावेज जिला कारा की अगुआ

17 APR 2007

रजिस्ट्रार
जयपुर





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

३:

5-029086

कीमत पर बतौर कम्पनी के एजेंट की हैसियत से कब्जा रहित विक्रय अनुबंधलेख सम्पादित करा लिया था। आज विनांक को यह विक्रय पत्र कम्पनी के हित में सहमति कर्ता के निर्देश पर किया जा रहा है। इस विक्रय में सहमति कर्ता को किसी प्रकार की कोई आपसि नहीं है। उक्त अनुबंध सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से किया होकर निजी हैसियत से नहीं किया था। इसलिए विक्रीदार एवं खरीददार पक्ष को अधिक विश्वास विलाने के लिए अलग से कोई स्पर्धा नहीं लेते हुए स्पेष्ठा से इस विक्रय पत्र पर बतौर सहमति कर्ता नाते अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

विक्रयान्तर्गत कृषि भूमि की कीमत के मुकते रुपये २४,५२,५००/- अक्षरी चौबीस लाख बावन हजार पांच सौ रुपये मात्र विक्रेता पक्ष को सहमति कर्ता ने, जो कि क्रेता कम्पनी के एजेंट की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, निम्नानुसार अदा कर दिये हैं। इस प्रकार कीमत की भुक्ती धन राशि के रुपये क्रेता पक्ष से मिलना विक्रीदार पक्ष स्वीकार करते हैं। अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय श्रीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी पक्ष पैरा तक लेना शेष नहीं रहा है एवं इस विलेख के पंजीयन के पश्चात भी भीमत पेटे व इस सम्पत्ति के पेटे कुछ भी लेना बाकी नहीं रहेगा। मूल्य राशि प्राप्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष की पूर्ण संतुष्टि हो गई है। भूमि की किस्म के अनुसार उपरोक्त कीमत पर्याप्त है। उपरोक्त कीमत की सम्पूर्ण धनराशि सहमति कर्ता ने क्रेता से जारी विभिन्न भार, टी. जी. एस. द्वारा प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता को दे दिये हैं। विक्रेता पक्ष ने सहमति कर्ता, क्रेतापक्ष से कीमत पेटे मुकते रुपये निम्नानुसार प्राप्त किए हैं:-

रुपये ११,०००/- कैशर में प्राप्त,

रुपये ९,४५,०००/- द्वारा चेक नं. १०८३१८ दि: १९/४/०७ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त,

रुपये ११,५१,२७५/- द्वारा चेक नं. १०८३१९ दि: १९/४/०७ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त,

रुपये १,००,०००/- द्वारा चेक नं. १०८३२० दि: १६/४/०७ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त,

रुपये ४५,२२५/- द्वारा चेक नं. १०८३२१ दि: १६/४/०७ यू.टी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त।

अधिरक्ष....४



Shiv Mahim...
[Signature]

[Signature]







मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 029087

मालिकाना कब्जा सवर बेची गई भूमि सम्पत्ति का मीके पर प्रत्यक्ष रूप से, सर्वविधित रूप से मूर्तिमंत रिक्त आधिपत्य (एक्जुक्ल पजेशन) खरीदार पक्ष को बिक्रीदार पक्ष ने सहमति कर्ता के साथ मीके पर आकर सुपुर्द कर दिया है। भूमि का कब्जा मिलना खरीददार पक्ष को स्वीकार है। अब खरीददार अपने वंश परंपरा तक मोल ली हुई संपत्ति का उपभोग व उपयोग अपनी इच्छानुसार लेवे। इसे धारण करे, इसमें प्रवेश करे इसकी उत्पन्न आय लाभ आदि लेवे। चाहे जय, चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण आदि करे। यह सब अधिकार खरीददार पक्ष को इस विक्रय बिलेख के अंतर्गत प्राप्त हो गये हैं।

अतः संक्षिप्त के स्वयं व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बगैर किसी दबाव या रूचि दिलाने आदि के नीचे लिखी सर्वे नं. व क्षेत्रफल वाली ग्राम दतोदा तहसील महु जिला इंदौर स्थित कुचि भूमि अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकारों, इजमेंट राईट्स, प्रिविलेजस के सहित, किसी वस्तु या स्वत्व शेष रहे बिना सधके सहित, बिक्रीदार पक्ष ने विक्रय की गई व बेची गई भूमि सम्पत्ति पर खरीददार पक्ष को अपनी तरह पूर्ण रूप से मालिक, अधिपति, भूमि स्वामी बना दिया व अपना हर प्रकार का स्वत्वाधिकार बेची गई भूमि सम्पत्ति पर से उठा लिया है, समाप्त कर लिया है। ये सभी स्वत्वाधिकार इस विक्रय बिलेख के अंतर्गत उपरोक्त खरीददार पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।

अब यदि बिक्रीदारपक्ष का कोई दावा या शारीक बाधिका आदि अग्रेसर होकर किसी भी किस्म का कोई दावा सवर बेची गई भूमि सम्पत्ति के प्रति करे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण रु. रूपया खरीददार को अदा करना पड़े तो बिक्रीदार पक्ष उसके उत्तर दाता है।

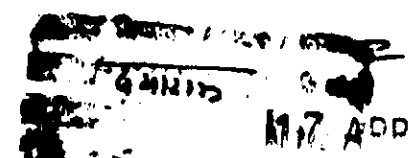
सवर सम्पत्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष ने कोई मुखत्यार नामा आम या खास किसी भी व्यक्ति या सस्था के नाम पर किया हुआ नहीं है। यदि ऐसा कोई मुखत्यार नामा किसी अन्य के नाम पर पाया जाता है तो वह प्रभाव शून्य मान्य होगा। इस विक्रय के पश्चात विक्रेता पक्ष द्वारा पूर्व में किये गए समस्त अनुबंध लेख स्पष्ट ही निरस्त, प्रभाव शून्य हो जायेंगे।

अधिरस्त... ५



101
0111203

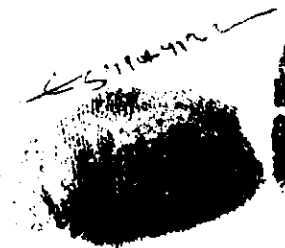
100



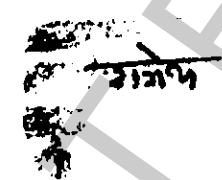
17 APR 2007



बकाय जोशी
पुनर्वसन विभाग
नवी मुंबई



17 APR 2007



17 APR 2007



REGISTRAR
Dist. Muz.

श्री. रमेश चंद्र २०१४
श्री. रमेश चंद्र २०१४





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 029088

विक्रीदार पक्ष के किसी साजी या शरीफ बारिसान के दायर करने से या अधिकार बौध के कारण सबर बेची गई भूमि या इसका कोई भाग खरीददार के कब्जे और अधिकार से निकल जावे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रुपया खरीददार पक्ष को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय का चुकसा रुपया, अवसर होने पर अनुपातिक द्रव्य, लगा हुआ रुपया, व्यय व हानि जो उठानी पड़े वह सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेतापक्ष से स्वतः से य उनके बारिसान आवि से व उनकी मौजूदा व भविष्य में होने वाली जंगम व स्थावर सम्पत्तियों से जिस प्रकार भी हो सके वसूल कर लें। विक्रेता पक्ष को कोई आपत्ति, एतराज नहीं होगा।

बेची गई भूमि सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

सर्वे नं.	रकबा ऐक्टर ये	लगान
२२१८	पैकि १-८९१	४-९५
५२१५/१		

(सर्वे नं.- बी रुआर जो भी अकार, बी रुआर जो भी अनीस) (रकबा- एक बरामतल आर री लेईस ऐक्टर)
(लगान- बार रुपये पच्चीस पैस बाब)

उपरोक्त बेची गई कृषि भूमि ग्राम बसोदा तहसील मलु बिल्ल बंदौर में स्थित है। विक्रय की गई भूमि में कोई मकान, कुआ या वृक्ष आवि नहीं है। विक्रेता भूमि असिचित है।



Chauhan

अभिदित,....६

[Signature]





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 029089

६।

बिक्रीत भूमि की बंधन सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में-बाला है।

पश्चिम में-रास्ता है।

उत्तर में-विक्रेता की शेष भूमि है।

दक्षिण में-पुन्नीचार्ड की भूमि है।

यह भूमि शासकीय पट्टे, भू-दान की नहीं है। ऐनोमोफ्ट्री के सिटीजन की नहीं है। भूमि का लेण्ड

यूस कृषि उपयोग का है, परिवर्तित भूमि नहीं है।

नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की बाध्य नहीं है। अनन्य क्षेत्र, निवेश व विशेष क्षेत्र, स्कीम व प्लान एरिया की नहीं है। किसी अधिग्रहण में भी नहीं है। मिलिट्री द्वारा एक्वायर की हुई नहीं है। सन १९५८-५९ व पश्चात किसी भी कालावधि में बिक्रीत भूमि किसी आदिवासी या जन-जाति के सदस्य के नाम पर नहीं रही है।

इस विवरण को किसी पूर्वनिर्धारित, पूर्व अनूज्ञा एवं अमान्यतले प्रमाण वक्त की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह विक्रय बंध रूप से है। अब सरीदवार पक्ष को अधिकार होगा कि वे उनके सचें से उपरोक्त मोल ली भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करवा लें, बटे नम्बर करवा ले। इन कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष औपचारिक रूप से सहयोग हेतु सदा तत्पर, तैयार व बाध्य रहेंगे।

इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रसिध्द को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर सरीदवार को या जिसे भी आवश्यकता हो सरीदवार के ध्येय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डोड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अथन्टीकेशन, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर तैयार व बाध्य रहेंगे।

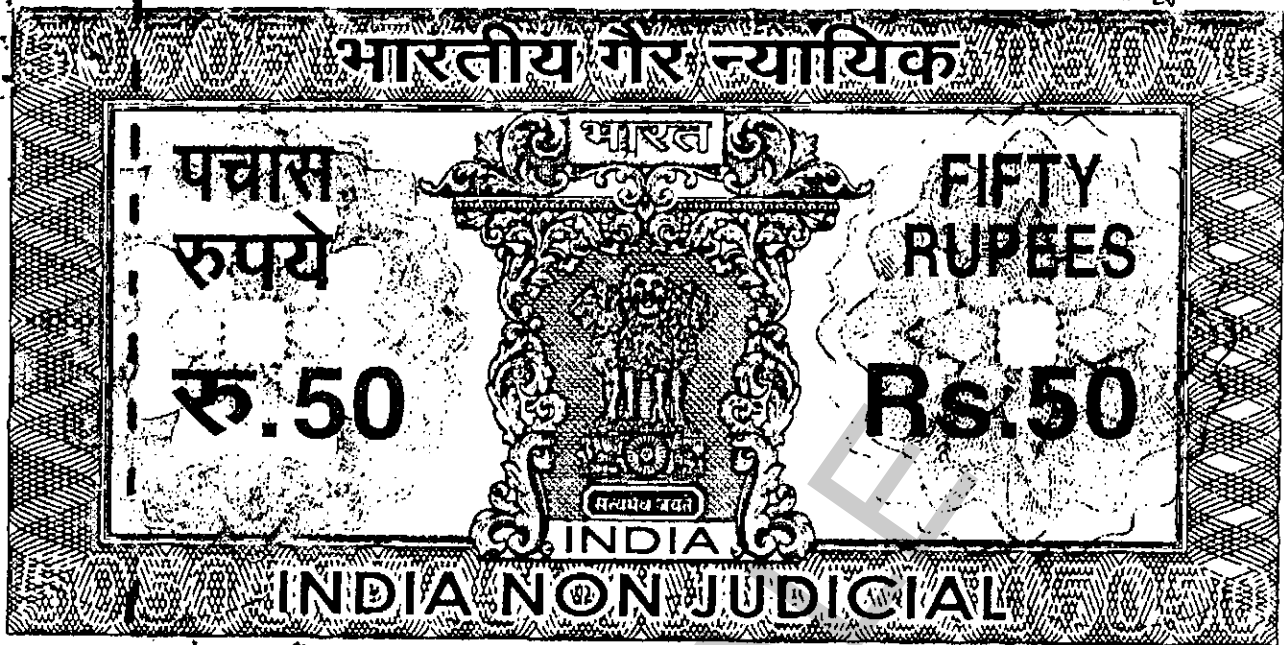
अविरत...७



Chauhan

[Signature]





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

३७।

D 578877

साम्योद्यम शिष्टीदारपक्ष (विद्येता) एवं खरीददारपक्ष (क्रेता) में एतद् द्वार उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दाय्याधिकारी, स्वत्वगृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेवित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्षण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण, कानूनी एवं वैद्य प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेगी। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण लक्ष्य के तापक्ष (खरीददार) ने बहन किया है।

अतः। यह विक्रयपत्र आज महु में लिखा गया है। उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार लिखवाया है, भजभून पढ़कर, पढ़बाकर, सुनकर, समझदार विक्रवार ने स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में गवाहों के समक्ष बगैर किसी दबाव के अपनी सहोयों की है, ताकि प्रमाण रहे। बक्स जरूरत काम आवे। गवाहों ने निष्पादन के समय इस लेख पर निष्पादक के समक्ष निष्पादन की गवाह की है।

विलेख में कोई फाट छांट नहीं है।

दिनांक: १८-१०-२००७ महु

सही-शिष्टीदारपक्ष
(विद्येता)

गवाह: १। श्री. व. लाल
श्री. व. लाल
श्री. व. लाल

श्री. व. लाल
सही-सहमति कर्ता

गवाह: २। श्री. व. लाल
श्री. व. लाल
श्री. व. लाल

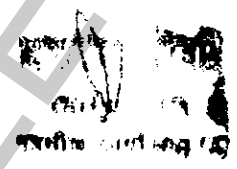
श्री. व. लाल
सही-खरीददारपक्ष
(क्रेता)

मेरे द्वारा प्राकृतित एवं मेरे कार्यालय में दस्त
पं. श्रीकान्त मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट,
१५२६, पत्ती बाजार महु - फोन नम्बर - २७२७०२
२८/१, भोली लोना (राजिस्टर ऑफिस के पास) इन्दौर फोन नं. २२६७२९८



137
गोपनीय

विलोपन की विधिगत रूप
से प्रमाणित करने के लिए



17 APR 2007

158 151
10258 1 7 12
10065
[Signature]

1976
[illegible]
[illegible]
[illegible]
10065
[illegible]

